(5)

Mewar University Alumni Society, Chogawadi समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम– इस संस्था का नाम Mewar University Alumni Society, Chogawadi समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :– Mewar University Campus, Gangrar, Chittorgarh है। तथा इसका कार्यक्षेत्र Rajasthan क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1 To keep data of Alumni of Mewar University and their relevant details

2) Maintaining and reviewing information of Alumni

3 To guide and assist the Alumni who have recently their course of study at Mewar University and to keep them engaged in productive pursuits useful to society

4 To let the Alumni acknowledge their gratitude to their Alma-Mater

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Signature valid
Digitally Signed by Sunil Kumar Jagetia
Designation : REGISTRAR
Date: 2018.08.14 15:04:26 IST
Reason: Approved
Location: CHITTORGARH

अध्यक्ष
Nirmal
13/07/18

सचिव
13/7/18

13/7/18

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)

4 सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते है ।

2. बालिग हो ।

3. पागल, दिवालिये न हों ।

4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों ।

5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों ।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें :-

1. संरक्षक

2. विशिष्ठ

3. सम्माननीय

4. साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा मिलकर निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा ।

1. संरक्षक राशि ~~51000/-~~ वार्षिक/आजन्म

2. विशिष्ठ राशि 21000/- वार्षिक/आजन्म

3. सम्माननीय राशि 11000/- वार्षिक/आजन्म

4. साधारण 500/- वार्षिक/आजन्म

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7. सदस्यता के निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :

1. मृत्यु होने पर

2. त्याग - पत्र देने पर

3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

अध्यक्ष 13/07/18 सचिव 13/7/18 13/7/18

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)

8. साधारण सभा :-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।
2. वार्षिक बजट पारित करना ।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा ।)

10. साधारण सभा :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक आयोजित होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे । जो पूर्व एजेन्डा में थे ।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 2 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत कराना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे । तथा इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे ।

11. कार्यकारिणी का गठन :

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष : एक	2. उपाध्यक्ष ✗ /
3. सचिव : एक	4. कोषाध्यक्ष ✗ /
5. सह सचिव :	6. सदस्य

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें । कम रखना चाहें तो कम रख लें)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......4...... पदाधिकारी व ......3...... सदस्य कुल ......7 (सात)...... सदस्य होंगे ।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा ।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।

अध्यक्ष 13/07/18 — सचिव 13/7/18 — कोषाध्यक्ष 13/7/18

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे ।

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।
2. वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना ।
4. संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना ।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना ।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।
3. बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी । तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकेगी ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों अतिरिक्त प्रबन्धकारियों के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

अध्यक्ष :

1. बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3. बैठकें आहूत करना ।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

अध्यक्ष Nirag 13/07/18 सचिव 13/7/18 कोषाध्यक्ष 13/7/18

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)

सचिव :

1. बैठके आहूत करना ।

2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3. आय व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4. वैतानिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6. पत्र व्यवहार करना ।

7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो ।

सह-सचिव :

1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव पद के समस्त कार्य संचालन करना एवं

2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/सचिव द्वारा सौंपी जावें ।

कोषाध्यक्ष :

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।

3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न कराना ।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1. चन्दा

2. शुल्क

3. अनुदान

4. सहायता ।

5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी

2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा ।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :-

1. अध्यक्ष ......100000/-...... रु.

2. सचिव ......50000/-...... रु.

3. कोषाध्यक्ष ......25000/-...... रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।
अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

अध्यक्ष — [signature] 10/07/18 | सचिव — [signature] 13/7/18 | कोषाध्यक्ष — [signature] 13/7/18

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)

18. संस्था का अंकेक्षण :	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा । वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएं को प्रस्तुत करने होंगे ।
19. संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।
20. संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी । लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी । रजिस्ट्रार संस्थाएं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
21. संस्था के लेखे जोखे	रजिस्ट्रार संस्थाएं ~~[illegible]~~ चित्तौड़गढ़ को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा दिये गये सुझावों की पालना की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) Mewar University Alumni Society, Chogawadi की सही व सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

15/7/18

15/7/18

15/7/18

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

R 190224

राजस्थान RAJASTHAN

SUSHIL KUMAR VYAS, Chittorgarh
NOTARY
R.N. 11777

शपथ–पत्र

मैं हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता अधिकृत अधिकारी पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था मेवाड युनिवर्सिटी एलूम्नी सोसायटी पता मेवाड युनिर्वसीटी केम्पस चोगावडी तहसील गंगरार व जिला चितौडगढ शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि–

1. हमारी प्रस्तावित संस्था मेवाड युनिवर्सिटी एलूम्नी सोसायटी पता मेवाड युनिर्वसीटी केम्पस चोगावडी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ के पंजीयन हेतु कुल 15 आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में क्षेत्र मे कोई पंजीकृत संस्था नही हैं। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उदेश्य वाली संस्था/समिति का सदस्य/पदाधिकारी नही हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की विन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्य क्षेत्र में निहित उदेश्यो की पूर्ति हेतु गठित की गयी हैं।

ATTESTED

27 JUN 2018

SUSHIL KUMAR VYAS
NOTARY
CHITTORGARH (RAJ.)

Registrar
Mewar University
Gangrar (Chittorgarh)

4. धारा 3 में वर्णित उदेश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उदेश्यो की पूर्ति मे किसी भी प्रकार का लाभ निहित नही होगा ।

5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां,व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नही कि गयी और नही किसी प्रकार का लाभ सदस्यो मे वितरण होगा ।

6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति मे व्यवसायिक रूप से कार्य नही करेगी तथा न ही इसमे किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी लाभ निहित होगा।

7. यदि भविष्य मे किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाये चितौडगढ को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

8. भविष्य में उक्त विन्दू सं. 1 से 7 तक अंकित तथ्यो के विपरित कार्य करने की जानकारी प्रकाश मे आने पर इसे रजिस्ट्रार संस्थाये चितौडगढ को संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष — Nirma 10/07/18

मन्त्री / सचिव — 13/7/18

कोषाध्यक्ष — 13/7/18

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करते है कि विन्दू सं. 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया गया नही हैं। उपरोक्त तथ्यो के विपरित कोई जानकारी प्रकाश मे आने पर रजिस्ट्रार संस्थाये चितौडगढ को संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी हैं।

Nirma (President) .... (Secretary) .... (Treasurer) ....

ATTESTED

27 ... 2018

SUSHIL KUMAR VYAS
NOTARY
CHITTORGARH (RAJ.)

Registrar
Mewar University
Gangrar, (Chittorgarh)